



उत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुरE

Phone No. 0771- 3057046 Fax No. 0771- 2429385

क्र०/३५१५/विद्यो०/बोनस अंक/२०१५-१६

रायपुर, दिनांक ०६-१-१६

प्रति,

संचालक  
लोक शिक्षण संचालनालय  
इंद्रावती भवन, रायपुर

विषय :- बोनस अंक २०१५-१६ की कार्यवाही बाबत।

उपरोक्त विषय में विदित है कि प्रति वर्ष माशि० द्वारा हाई/हायर सेकेंडरी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मंडल के परीक्षा/परीक्षाफल समिति की बैठक दिनांक ३०.४.२०१२ में लिये गये निर्णय के अनुसार खेलकूद संबंधी एवं अन्य गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन के लिए बोनस अंक दिया जाता है। इस संदर्भ में २०१५-१६ में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी उनके निम्नांकित गतिविधियों के लिए खेलकूद, स्काउट गाइड, एनसीसी एवं साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों में भी बोनस अंक प्रदान किया जाना है। तत संबंध में नियम पुस्तिका एवं निर्धारित प्रपत्र संलग्न है। जिसके तहत निर्धारित तिथि के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर मंडल को चयनित विद्यार्थियों की सूची उपलब्ध करावें ताकि बोनस अंक संबंधी कार्यवाही मंडल द्वारा किया जा सके। तत संबंध में पत्र आपकी ओर सादर प्रेषित है।

सचिव

छ० ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल

रायपुर

रायपुर, दिनांक ०६-१-१६

पृष्ठांकन क्र०/३५१६/विद्यो०/बोनस अंक/२०१५-१६

प्रतिलिपि :-

१. मा० अध्यक्ष महोदय/सचिव के निज सचिव, छ० ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर।
२. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, रायपुर।
३. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
४. निज सहायक मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, रायपुर।
५. आयुक्त आदिवासी विकास, पं० रविशंकर शुक्ल विवि० परिसर, रायपुर।
६. समस्त संबंधित राज्य/विभाग प्रमुख ( NCC/NSS/स्काउट गाइड/साक्षर भारत कार्यक्रम ) .....को आवश्यक सहयोग हेतु सादर सूचनार्थ।
७. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छ० ग० को सूचनार्थ कर लेख है कि अपने जिले के समस्त हाई/हा०से० स्कूल के प्राचार्यों को ततसंबंध में सूचित करें एवं प्राचार्य से प्राप्त सूचना को निर्देशानुसार कार्यवाही कर संपादन करें।
८. समस्त सहा० आयुक्त, आदिवासी विकास छग,समस्त प्राचार्य हाई/हासे० स्कूल को निर्देशित करने हेतु।
९. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी, छ० ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर।
१०. संभागीय अधिकारी, छग माध्यमिक शिक्षा मण्डल, बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर एवं राजनांदगांव।
११. समस्त सहा० सचिव/सहा० प्रा० छ० ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव

छ० ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल

रायपुर

# छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर (छत्तीसगढ़)

## नियम पुस्तिका

(खेलकूद, एन0सी0सी0, स्काउट/गाइड, एन0एस0एस0 एवं साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशकों को परीक्षाओं में बोनस अंक विषयक)

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 13-34/2012/20-3 रायपुर दिनांक 31.08.12 के द्वारा मण्डल की परीक्षा/परीक्षाफल समिति की संयुक्त बैठक दिनांक 30.04.2012 में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रस्तावित, खेलकूद, स्काउट-गाइड, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0 में प्रावीण्य छात्रों को परीक्षा में बोनस अंक विषयक प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। साथ ही साक्षर भारत कार्यक्रम अन्तर्गत कार्य कर रहे अनुदेशकों को परीक्षा में बोनस अंक देने एवं मण्डल द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया को परिभाषित कर एक नियम पुस्तिका प्रकाशित करने के लिए आदेशित किया गया है।

(1) बोनस अंक हेतु प्रस्तावित गतिविधियाँ :- स्तर बोनस अंको का वितरण

स.क्र.	गतिविधि का नाम	स्तर के अनुसार अंक वितरण					
1.	खेलकूद व्यक्तिगत एवं टीम खेल पदक प्राप्त	राज्य	राष्ट्रीय	अंतर्राष्ट्रीय			
		10 अंक	15 अंक	20 अंक			
2.	एन0 सी0 सी0	आर0डी0 परेड	मावलंकर शूटिंग	वायु सैनिक	नौसेना कैम्प	थलसेन I कैम्प	डी0 कैट कैम्प।
		15 अंक			15 अंक	15 अंक	10 अंक
3.	एन0 एस0 एस0	आर0डी0 परेड					
		15 अंक					
4.	स्काउट/गाइड	राज्यपाल	राष्ट्रपति				
		10 अंक	15 अंक				
5.	साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशक	प्रशिक्षित हों, पंजीकृत हो, 10 असाक्षरों को बेसिक प्राइमर और 10 असाक्षर शिक्षार्थी को 'क' एवं 'ख' श्रेणी से उत्तीर्ण कराया हों।					
		10 अंक					

## (2) पात्रता हेतु सामान्य शर्तें :-

1. खेलकूद, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0 स्काऊट/गाइड एवं साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशकों को बोनस अंक का लाभ उपलब्धि प्राप्त सत्र में ही दिया जाएगा।
2. खेलों में प्रथम से तृतीय स्थान तक समान लाभ दिया जाएगा।
3. बोनस अंक का लाभ केवल सैद्धांतिक परीक्षाओं के लिए ही दिया जाएगा।
4. बोनस अंक का लाभ केवल एक बार मुख्य परीक्षा में प्रदाय किया जाएगा।
5. मण्डल से मान्यता प्राप्त विद्यालय के नियमित छात्र को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
6. खेल, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, स्काऊट/गाइड गतिविधि में व्यतीत कार्य दिवसों एवं विद्यालय में उपस्थिति का योग मण्डल के नियमानुसार होना चाहिए।
7. गतिविधियों में संलग्न छात्रों को प्रायोगिक परीक्षाओं हेतु आवश्यकता होने पर पृथक से समय दिया जाएगा।
8. भारतीय ओलम्पिक संघ, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं एवं खेल संघों तथा संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ और खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन से प्रदत्त प्रमाण पत्रों एवं मान्यता प्राप्त खेलों के विद्यार्थियों को ही बोनस अंक प्रदान किया जाएगा।
9. स्कूल गेम्स एवं मान्यता प्राप्त संघों द्वारा आयोजित ओपेन गेम्स में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को भी बोनस अंक की पात्रता होगी।

(3) अंकसूची का निरूपण :- अंकसूची में वर्तमान व्यवस्था अनुरूप बोनस अंको को अतिरिक्त कॉलम में दर्शाया जाएगा। ग्रेडिंग प्रणाली लागू होने पर इन अंको को ग्रेड्स में व्यक्त किया जाएगा। अंकसूची में बोनस अंक के सम्मुख का (\*) चिन्ह या अन्य कोई चिन्ह लगाकर **Foot Note** में उसका विवरण दिया जाएगा।

(4) परीक्षण/विश्लेषण प्रमाणीकरण :- माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा निर्धारित प्रपत्र (बिन्दु क्र.-6(B) में उल्लेखित) में विभाग के प्रमुख का प्रमाणीकरण अनिवार्य है। (प्रपत्र संलग्न है)

(5) बोनस अंक नीति :- माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा खेलकूद/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काऊट गाइड/साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशक को विभिन्न स्तरों पर निर्धारित बोनस अंको का वितरण निम्नानुसार किया जावेगा।

1. बोनस अंको का वितरण समस्त विषयों में किया जा सकेगा।
2. कृपांक नीति के अतिरिक्त बोनस अंको का लाभ विद्यार्थी को दिया जायेगा।  
उदाहरण :- यदि कोई विद्यार्थी सभी विषयों में अनुत्तीर्ण है ऐसी दशा में छात्रहित में कृपांक प्राप्त करने वाले विषयों में भी निर्धारित बोनस अंक में से आवश्यकतानुसार बोनस अंक दिये जावें।
3. उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में महायोग में बोनस अंको को जोड़ा जावे।  
उदाहरण :- 310/500 है तो उसे 310+10 = 320/500 प्रदर्शित किया जावेगा।

- 3 (a) जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को दिनांक 15.03.16 तक प्रेषित की जावेगी।
3. (b) एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काऊट एवं गाइड तथा साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशकों से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख को 15.03.16 तक प्रेषित की जावेगी।
4. एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काऊट गाइड एवं साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशकों से संबंधित विवरण का राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में प्रमाणीकरण कर दिनांक 20.03.16 तक संचालनालय लोक शिक्षण को प्रेषित की जावेगी।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी जिला प्रमुख/राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को दिनांक 30.03.16 तक प्रेषित की जावेगी।
6. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंको की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम **Moderation** के समय किया जावेगा। इसके पश्चात बोनस की पात्रता समाप्त हो जायेगी।
7. (7) अन्य निर्देश :-
  1. मण्डल की वर्तमान कृपाक योजना यथावत रखी जाएगी।
  2. मण्डल द्वारा संपूर्ण प्रक्रिया को परिभाषित कर एक नियम पुस्तिका प्रकाशित की जाएगी एवं समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधित किया जायेगा।
  3. संपूर्ण पूर्व तैयारी के बिना योजना को लागू नहीं किया जाएगा।
  4. समय-समय पर योजना की प्रचलित राज्यों का भली-भांति अध्ययन किया जाएगा।
  5. बोनस अंको के बाद अधिकतम अंको का निर्धारण अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा किया जाएगा।
  6. बोनस अंक पृथक से अंकसूची में दर्शाने के स्थान पर ग्रेडिंग पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।
  8. बोनस अंको का निर्धारण परीक्षा परिणामों के **Moderation** के समय किया जावेगा। इसके पश्चात बोनस की पात्रता समाप्त हो जायेगी।
  7. यदि छात्र के पास एक से अधिक प्रमाण पत्र है तो उसमें एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को लाभ हेतु चुना जाएगा।
  8. क्रियान्वयन हेतु सभी संबद्ध कार्यालय प्रमुखों से समय-समय पर विस्तृत चर्चा कर मार्गदर्शी बिन्दुओं, क्रियान्वयन प्रक्रियाओं में संशोधन किया जा सकता है।
  9. साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशकों को परीक्षा में बोनस अंक देने हेतु शर्तें निम्नानुसार होगी :-
- 10 (i) अनुदेशक साक्षर भारत कार्यक्रम अंतर्गत पंजीकृत हो।
  - (ii) उसके द्वारा अनुदेशक का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो।
  - (iii) शैक्षणिक सत्र के दौरान उसके द्वारा न्यूनतम 10 असाक्षरों को बेसिक प्राईमर (बुनियादी प्रवेशिका) का पठन-पाठन लगातार 6 माह तक अथवा 200 घण्टें तक कराया गया हो।

4. अंक के सम्मुख (\*) चिन्ह अंकित किया जावेगा।
5. समस्त विषयों में उत्तीर्ण होने पर महायोग में बोनस अंको को जोड़ने पर श्रेणी में सुधार होगा।
6. बोनस अंक जोड़कर पूर्णांक से अधिक नहीं होना चाहिए।

उदाहरण :- 495/500, यदि 10 अंक देने है तो अधिकतम 05 अंक जोड़ना है।

7. सभी विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को कृपांक के साथ बोनस अंकों का लाभ देते हुए पूरक की पात्रता माध्यमिक शिक्षा मण्डल के नियमानुसार होगी।

बोनस अंको का विभाजन निम्न प्रकार से किया जावे

(i) उत्तीर्ण होने के लिये आवश्यक अंक संबंधित विषय में जोड़े जावे।

(ii) शेष अंक महायोग में जोड़े जावे।

8. अनुत्तीर्ण होने एवं एक से अधिक गतिविधि में प्रदर्शन की स्थिति में खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं गाइड/साक्षर भारत कार्यक्रम में से किसी एक में जिसमें प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ (जिसमें सर्वाधिक अंक है) रहा है, का चयन कर विद्यार्थी को निर्धारित बोनस अंक प्रदान कर उत्तीर्ण घोषित किया जा सकेगा।

**(6) बोनस अंक नीति की प्रक्रिया :-**(A) कक्षा 9वीं एवं 11वीं में निर्धारित बोनस अंकों का लाभ चयनित विद्यार्थी को नियमानुसार विद्यालय के द्वारा दिया जावेगा इस हेतु -

- I. संबंधित शाला के प्राचार्य की अध्यक्षता में 03 से 05 सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाए। समिति चयनित विद्यार्थियों के प्रमाणपत्रों का परीक्षण कर पात्र विद्यार्थियों को देय निर्धारित अंकों के साथ सूची शाला की परीक्षा समिति/प्राचार्य को निर्धारित प्रपत्र - कक्षा 10वीं, 12वीं के अनुसार सौंपेगी।
- II. इससे संबंधित समस्त दस्तावेज संबंधित शाला में सुरक्षित रखे जाएंगे जिनका समय-समय पर मण्डल एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया जा सकेगा।

**(B)** माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा बोनस अंक का लाभ कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को दिया जावेगा। बोनस अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सूची निम्नानुसार माध्यमिक शिक्षा मण्डल को प्रेषित की जावे।

1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रपत्र तैयार किये गये है जो निम्नानुसार है -

- |      |                               |   |                                 |
|------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| I.   | खेलकूद                        | - व्यक्तिगत एवं सामूहिक में पदक प्राप्त - | प्रपत्र-I (A) प्रपत्र-I (B)     |
| II.  | एन0 सी0 सी0                   | - चयनित/पुरस्कृत                          | प्रपत्र-II (A) प्रपत्र-II (B)   |
| III. | एन0 एस0 एस0                   | - चयनित/पुरस्कृत                          | प्रपत्र-III (A) प्रपत्र-III (B) |
| IV.  | स्काउट एवं गाइड               | - चयनित/पुरस्कृत                          | प्रपत्र-IV (A) प्रपत्र-IV (B)   |
| V.   | साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशक | - प्रशिक्षित एवं पंजीकृत                  | प्रपत्र-V (A) प्रपत्र-V (B)     |

2. चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को दिनांक 10.03.16 तक प्रेषित की जावेगी।

- (iv) अनुदेशक द्वारा पढ़ाये गये न्यूनतम 10 असाक्षर शिक्षार्थी आंकलन परीक्षा में सम्मिलित हुए हो तथा निर्धारित "क" एवं "ख" श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हों।
- (v) जिला परियोजना अधिकारी, साक्षर भारत कार्यक्रम से उपर्युक्तानुसार अनुदेशकों की सत्यापित सूची प्राप्त होने पर संचालक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा पात्र छात्र-छात्राओं की सूची संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल को बोनस अंक प्रदान करने हेतु प्रदाय की जावेगी।
11. बोनस अंक प्रदान करने की इस नीति में निर्वचन/संशोधन करने का अधिकार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल को होगा।

  
सचिव

छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल

रायपुर

**छ0ग0 माशिम0 के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची – प्रपत्र-1 (A) - कक्षा – 10वीं**

**गतिविधि – (1) खेलकूद (व्यक्तिगत एवं समूह खेल में प्रथम से तृतीय स्थान)**

सत्र – .....

क्र.	शाला का नाम (फोन नं0 सहित)	शाला का कोड	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो0 नं0	खेल का प्रकार	प्राप्त स्थान  प्रथम/ द्वितीय/ तृतीय	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नामांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	स्तरानुसार निर्धारित अंक		
											राज्य (10अंक)	राष्ट्रीय (15अंक)	अन्तर्राष्ट्रीय (20अंक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

टीप :- 1. संबंधित कॉलम में अंक की प्रविष्टि की जावे।

2. प्रमाणीकरण – प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित जानकारी सही है।

हस्ताक्षर

संस्था प्रमुख

नाम .....

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी

नाम .....

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

राज्य/विभाग प्रमुख

नाम .....

पदमुद्रा

संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय

- टीप :- 1. उपरोक्त प्रपत्र में निर्धारित कालम के अनुसार जानकारी छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल को संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
2. इसी प्रकार लोक शिक्षण संचालनालय को राज्य विभाग प्रमुख द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
3. राज्य विभाग प्रमुख संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी प्राप्त करेंगे।
4. जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित संस्था प्रमुख से।
5. संस्था प्रमुख को निर्धारित प्रपत्र जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

छ0ग0 माशिम0 के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची – प्रपत्र-1 (B) - कक्षा – 12वीं

**गतिविधि – (1) खेलकूद (व्यक्तिगत एवं समूह खेल में प्रथम से तृतीय स्थान)**

सत्र – .....

क्र.	शाला का नाम (फोन नं0 सहित)	शाला का कोड	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो0 नं0	खेल का प्रकार	प्राप्त स्थान	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नामांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	स्तरानुसार निर्धारित अंक		
											राज्य (10अंक)	राष्ट्रीय (15अंक)	अन्तर्राष्ट्रीय (20अंक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

टीप :- 1. संबंधित कॉलम में अंक की प्रविष्टि की जावे।

2. प्रमाणीकरण – प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित जानकारी सही है।

हस्ताक्षर

संस्था प्रमुख

नाम .....

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी

नाम .....

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

राज्य/विभाग प्रमुख

नाम .....

पदमुद्रा

संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय

टीप :- 1. उपरोक्त प्रपत्र में निर्धारित कालम के अनुसार जानकारी छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल को संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

2. इसी प्रकार लोक शिक्षण संचालनालय को राज्य विभाग प्रमुख द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

3. राज्य विभाग प्रमुख संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी प्राप्त करेंगे।

4. जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित संस्था प्रमुख से।

5. संस्था प्रमुख को निर्धारित प्रपत्र जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।



**छ0ग0 माशिम0 के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची – प्रपत्र-II (A) - कक्षा – 10वीं**

गतिविधि –(2) एन0 सी0 सी0 (चयनित/पुरस्कृत)

सत्र – .....

क्र.	शाला का नाम (फोन नं0 सहित)	शाला का कोड	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो0 नं0	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नामांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र कमांक एवं दिनांक	स्तरानुसार निर्धारित अंक			
									आर0डी0 परेड (15 अंक)	मावलकर शूटिंग (15 अंक)	वायुसैनिक/नौ सैनिक थल सेना कैम्प हेतु (15 अंक)	डी0 कैंट-1 परेड हेतु (10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

टीप :- 1. संबंधित कॉलम में अंक की प्रविष्टि की जावे।

2. प्रमाणीकरण – प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित जानकारी सही है।

हस्ताक्षर

संस्था प्रमुख

नाम .....

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी

नाम .....

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

राज्य/विभाग प्रमुख

नाम .....

पदमुद्रा

संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय

- टीप :- 1. उपरोक्त प्रपत्र में निर्धारित कालम के अनुसार जानकारी छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल को संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।  
 2. इसी प्रकार लोक शिक्षण संचालनालय को राज्य विभाग प्रमुख द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।  
 3. राज्य विभाग प्रमुख संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी प्राप्त करेंगे।  
 4. जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित संस्था प्रमुख से।  
 5. संस्था प्रमुख को निर्धारित प्रपत्र जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

**छ0ग0 माशिम0 के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची – प्रपत्र-II (B) - कक्षा – 12वीं**

गतिविधि –(2) एन0 सी0 सी0 (चयनित/पुरस्कृत)

सत्र – .....

क्र.	शाला का नाम (फोन नं0 सहित)	शाला का कोड	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो0 नं0	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नामांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	स्तरानुसार निर्धारित अंक			
									आर0डी0 परेड (15 अंक)	मावलंकर शूटिंग (15 अंक)	वायुसैनिक/नौ सैनिक थल सेना कैम्प हेतु (15 अंक)	डी0 कैट-1 परेड हेतु (10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

टीप :- 1. संबंधित कॉलम में अंक की प्रविष्टि की जावे।

2. प्रमाणीकरण – प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित जानकारी सही है।

हस्ताक्षर

संस्था प्रमुख

नाम .....

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी

नाम .....

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

राज्य/विभाग प्रमुख

नाम .....

पदमुद्रा

संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय

- टीप :- 1. उपरोक्त प्रपत्र में निर्धारित कालम के अनुसार जानकारी छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल को संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
2. इसी प्रकार लोक शिक्षण संचालनालय को राज्य विभाग प्रमुख द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
3. राज्य विभाग प्रमुख संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी प्राप्त करेंगे।
4. जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित संस्था प्रमुख से।
5. संस्था प्रमुख को निर्धारित प्रपत्र जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

**छ0ग0 माशिम0 के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची – प्रपत्र-III (A) - कक्षा – 10वीं**

गतिविधि – (3) एन0 एस0 एस0 (चयनित/पुरस्कृत)

सत्र – .....

क्र.	शाला का नाम (फोन नं0 सहित)	शाला का कोड	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो0 नं0	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नामांकन	प्रमाण पत्र	निर्धारित अंक
							क्रमांक	कमांक एवं दिनांक	आरडी परेड हेतु (15 अंक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

टीप :- 1. संबंधित कॉलम में अंक प्रविष्टि की जावे।

2. प्रमाणीकरण – प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित जानकारी सही है।

हस्ताक्षर

संस्था प्रमुख

नाम .....

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी

नाम .....

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

राज्य/विभाग प्रमुख

नाम .....

पदमुद्रा

संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय

- टीप :- 1. उपरोक्त प्रपत्र में निर्धारित कालम के अनुसार जानकारी छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल को संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
2. इसी प्रकार लोक शिक्षण संचालनालय को राज्य विभाग प्रमुख द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
3. राज्य विभाग प्रमुख संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी प्राप्त करेंगे।
4. जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित संस्था प्रमुख से।
5. संस्था प्रमुख को निर्धारित प्रपत्र जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

**छ0ग0 माशिम0 के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची – प्रपत्र–III (B) - कक्षा – 12वीं**

गतिविधि – (3) एन0 एस0 एस0 (चयनित/पुरस्कृत)

सत्र – .....

क्र.	शाला का नाम (फोन नं0 सहित)	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो0 नं0	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नामांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	निर्धारित अंक
								आर0 डी0 परेड हेतु (15 अंक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

टीप :- 1. संबंधित कॉलम में अंक प्रविष्टि की जावे।

2. प्रमाणीकरण – प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित जानकारी सही है।

हस्ताक्षर

संस्था प्रमुख

नाम .....

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी

नाम .....

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

राज्य/विभाग प्रमुख

नाम .....

पदमुद्रा

संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय

- टीप :- 1. उपरोक्त प्रपत्र में निर्धारित कालम के अनुसार जानकारी छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल को संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।  
 2. इसी प्रकार लोक शिक्षण संचालनालय को राज्य विभाग प्रमुख द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।  
 3. राज्य विभाग प्रमुख संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी प्राप्त करेंगे।  
 4. जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित संस्था प्रमुख से।  
 5. संस्था प्रमुख को निर्धारित प्रपत्र जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

**छ0ग0 माशिम0 के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची – प्रपत्र-IV (A) - कक्षा – 10वीं**

गतिविधि – (4) स्काऊट/गार्ड (चयनित/पुरस्कृत)

सत्र – .....

क्र.	शाला का नाम (फोन नं0 सहित)	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो0 नं0	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नामांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	निर्धारित अंक	
								राज्यपाल पुरस्कार हेतु (10 अंक)	राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु (15 अंक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

टीप :-

1. संबंधित कॉलम में अंक प्रविष्टि की जावे।
2. प्रमाणीकरण – प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित जानकारी सही है।

हस्ताक्षर

संस्था प्रमुख

नाम .....

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी

नाम .....

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

राज्य/विभाग प्रमुख

नाम .....

पदमुद्रा

संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय

- टीप :-
1. उपरोक्त प्रपत्र में निर्धारित कालम के अनुसार जानकारी छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल को संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
  2. इसी प्रकार लोक शिक्षण संचालनालय को राज्य विभाग प्रमुख द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
  3. राज्य विभाग प्रमुख संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी प्राप्त करेंगे।
  4. जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित संस्था प्रमुख से।
  5. संस्था प्रमुख को निर्धारित प्रपत्र जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

**छ0ग0 माशिम0 के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची – प्रपत्र–IV (B) - कक्षा – 12वीं**

गतिविधि – (4) स्काऊट/गाईड (चयनित/पुरस्कृत)

सत्र – .....

क्र.	शाला का नाम (फोन नं0 सहित)	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो0 नं0	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नामांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	निर्धारित अंक	
								राज्यपाल पुरस्कार हेतु (10 अंक)	राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु (15 अंक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

टीप :-

- संबंधित कॉलम में अंक प्रविष्टि की जावे।
- प्रमाणीकरण – प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित जानकारी सही है।

हस्ताक्षर

संस्था प्रमुख

नाम .....

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी

नाम .....

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

राज्य/विभाग प्रमुख

नाम .....

पदमुद्रा

संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय

- टीप :-
- उपरोक्त प्रपत्र में निर्धारित कालम के अनुसार जानकारी छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल को संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
  - इसी प्रकार लोक शिक्षण संचालनालय को राज्य विभाग प्रमुख द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
  - राज्य विभाग प्रमुख, संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी प्राप्त करेंगे।
  - जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित संस्था प्रमुख से।
  - संस्था प्रमुख को निर्धारित प्रपत्र जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

**छ0ग0 माशिम0 के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची – प्रपत्र–V (A) - कक्षा – 10वीं**

**गतिविधि – (5) साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशक (प्रशिक्षित पंजीकृत)**

सत्र – .....

क्र.	शाला का नाम (फोन नं0 सहित)	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो0 नं0	शाला का कोड	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नामांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र कमांक एवं दिनांक	स्तरानुसार निर्धारित अंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									पंजीकृत प्रशिक्षित न्यूनतम 10 साक्षरों को बेसिक प्राइमर का पठन-पाठन आंकलन परीक्षा में 'क' एवं 'ख' श्रेणी प्राप्त
									10 अंक

टीप :- 1. संबंधित कॉलम में अंक प्रविष्टि की जावे।

2. प्रमाणीकरण – प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित जानकारी सही है।

हस्ताक्षर

संस्था प्रमुख

नाम .....

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी

नाम .....

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

राज्य/विभाग प्रमुख

नाम .....

पदमुद्रा

संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय

- टीप :- 1. उपरोक्त प्रपत्र में निर्धारित कालम के अनुसार जानकारी छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल को संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।  
 2. इसी प्रकार लोक शिक्षण संचालनालय को राज्य विभाग प्रमुख द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।  
 3. राज्य विभाग प्रमुख संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी प्राप्त करेंगे।  
 4. जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित संस्था प्रमुख से।  
 5. संस्था प्रमुख को निर्धारित प्रपत्र जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

**छ0ग0 माशिम0 के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची - प्रपत्र-V (B) - कक्षा - 12वीं**

गतिविधि - (5) साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशक (प्रशिक्षित पंजीकृत)

सत्र - .....

क्र.	शाला का नाम (फोन नं0 सहित)	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो0 नं0	शाला का कोड	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नामांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	स्तरानुसार निर्धारित अंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									पंजीकृत प्रशिक्षित न्यूनतम 10 साक्षरों को बेसिक प्राइमर का पठन-पाठन आंकलन परीक्षा में 'क' एवं 'ख' श्रेणी प्राप्त
									10 अंक

टीप :- 1. संबंधित कॉलम में अंक प्रविष्टि की जावे।

2. प्रमाणीकरण - प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित जानकारी सही है।

हस्ताक्षर

संस्था प्रमुख

नाम .....

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी

नाम .....

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

राज्य/विभाग प्रमुख

नाम .....

पदमुद्रा

संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय

- टीप :- 1. उपरोक्त प्रपत्र में निर्धारित कालम के अनुसार जानकारी छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल को संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।  
 2. इसी प्रकार लोक शिक्षण संचालनालय को राज्य विभाग प्रमुख द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।  
 3. राज्य विभाग प्रमुख संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी प्राप्त करेंगे।  
 4. जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित संस्था प्रमुख से।  
 5. संस्था प्रमुख को निर्धारित प्रपत्र जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।